



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-20112025-267859
CG-CG-E-20112025-267859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5124]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/कार्तिक 29, 1947

No. 5124]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/KARTIKA 29, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 18 नवम्बर, 2025

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत सूचना

का.आ. 5295(अ).— रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना “दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निपनिया – भाटापारा के बीच चौथी लाईन (14.40 कि.मी.)” परियोजना का निर्माण है। छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पदान के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त, अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधिन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा, बलौदा बाजार – भाटापारा छत्तीसगढ़, को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों

की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, तो करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि या रेखांकन एवं अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

“दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निपनिया – भाटापारा के बीच चौथी लाईन (14.40 कि.मी.)” परियोजना का निर्माण है, बलौदाबाजार – भाटापारा जिले के लिए, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला का नाम – बलौदाबाजार – भाटापारा

(राज्य – छत्तीसगढ़)

क्रमांक संख्या	तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	भाटापारा	परसवानी	194 (शामिल 195)	0.087
2			196	0.024
3			205/2	0.027
4			206	0.098
5			208	0.076
6			209	0.016
7			216	0.062
8			217	0.045
9			220/1	0.036
10			220/2	0.037
11			555/1	0.043
12	भाटापारा	अकलतरा	393/1/य	0.320
13			803/1	0.095
14			803/2	0.075
15	भाटापारा	अवरेठी	97/1	0.026
16			97/2	0.024
17	भाटापारा	सुरखी	35/1	उक्त भूमि में कुल प्रभावित रकबा 4560 वर्ग मीटर है। (0.456 हेक्टेयर)
18			35/2	
19			33/1	
20			33/2	
21			33/3	
22			32	
23			46	
24			47/1	
25			47/2	
26			47/3	
27			48/1	
28			48/2	
29			48/3	
30	भाटापारा	सेम्हराडीह	755	उक्त भूमि में से 4250 वर्ग मीटर रेलवे लाईन
31			756	

32			757	के एक छोर के साईड से 10 मीटर भूमि चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित है। (0.425 हेक्टेयर)
33			758	
34			763	
35			764	
36			765/2	
37	भाटापारा	कड़ार	1432/4	उक्त भूमि में से लम्बाई 155 मीटर चौड़ाई 10 मीटर प्रस्तावित है। (0.155 हेक्टेयर)
कुल योग – 2.127 हेक्टेयर				

[फा. सं. डी.सी.ई- II / कॉन/आर/चौथी लाईन/निपनिया – भाटापारा /20क/3504]

विजय कुमार साहू, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 18th November, 2025

Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989

S.O. 5295(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the execution of Special Railway Project, namely construction of “4th line between Nipania-Bhatapara of South East Central Railway (14.40 Km)” in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the Competent Authority namely Sub Divisional officer (Revenue), Bhatapara, Baloda Bazar – Bhatapara Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of “4th line between Nipania- Bhatapara of South East Central Railway (14.40 Km)” in Baloda Bazar – Bhatapara District in the state of Chhattisgarh.

Name of District - Baloda Bazar – Bhatapara

(State - Chhattisgarh)

SN	Tehsil	Name of Village	Khasra/Plot No.	Area (In Hectare)
1	Bhatapara	Parswani	194 (Including 195)	0.087
2			196	0.024
3			205/2	0.027

4			206	0.098
5			208	0.076
6			209	0.016
7			216	0.062
8			217	0.045
9			220/1	0.036
10			220/2	0.037
11			555/1	0.043
12	Bhatapara	Akaltara	393/1/३	0.320
13			803/1	0.095
14			803/2	0.075
15	Bhatapara	Aurethi	97/1	0.026
16			97/2	0.024
17	Bhatapara	Surkhi	35/1	The affected area in the mentioned land is 4560 Sqm (0.456 Hectare)
18			35/2	
19			33/1	
20			33/2	
21			33/3	
22			32	
23			46	
24			47/1	
25			47/2	
26			47/3	
27			48/1	
28			48/2	
29			48/3	
30	Bhatapara	Semradih	755	It has been proposed to allocate 10 meters of land for land widening from one side of the 4250 square meter railway line on the said land. (0.425 Hectare)
31			756	
32			757	
33			758	
34			763	
35			764	
36			765/2	
37	Bhatapara	Kadar	1432/4	The said land is proposed to be 155 meters in length and 10 meters in width. (0.155 Hectare)
Grand Total – 2.127 Hectare				

[F. No. DCE-II/Con/R/4th line/Nipania- Bhatapara / 20A/3504]

VIJAY KUMAR SAHU, Chief Administrative Officer (Construction)